



Yojna IAS

C-32 NOIDA SECTOR-02
UTTAR PRADESH (201301)
CONTACT NO. +8595907569

CURRENT AFFAIRS



Date - 8 April 2022

गैनोडर्मा ल्यूसिडम: द मैजिक मशरूम

- व्यापार और आजीविका के लिए लकड़ी के लट्ठों और चूरा की खेती करके गैनोडर्मा ल्यूसिडम (मैजिक मशरूम) को लोकप्रिय बनाने के लिए हाल ही में विश्व स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

मैजिक मशरूम के बारे में:

- यह एक औषधीय मशरूम है जिसका उपयोग सदियों से मधुमेह, कैंसर, सूजन, अल्सर के साथ-साथ बैक्टीरिया और त्वचा के संक्रमण जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
- हालांकि, भारत में इस फंगस यानी मैजिक मशरूम/गैनोडर्मा ल्यूसिडम की संभावना का अभी भी पता लगाया जा रहा है।
- इसके रासायनिक घटकों में पाए जाने वाले कई औषधीय गुणों के कारण इसे दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण औषधीय मशरूम में से एक माना जाता है।
- इसे "अमरता का मशरूम", "आकाशीय जड़ी बूटी" और "शुभ जड़ी बूटी" जैसे उपनाम दिए गए हैं। इसे विश्व स्तर पर "रेड रेशी मशरूम" के रूप में भी जाना जाता है।
- इस मशरूम के उपयोग के बारे में 5,000 साल पहले के चीन के इतिहास में जानकारी मिल सकती है। इसका उल्लेख जापान, कोरिया, मलेशिया और भारत जैसे देशों के ऐतिहासिक और चिकित्सा अभिलेखों में भी है।
- आम मशरूम के विपरीत, इस मशरूम की विशेषता यह है कि यह केवल लकड़ी या लकड़ी के आधार पर उगता है।
- यह गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से पनपता है और उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों के मिश्रित जंगलों में अधिमानतः बढ़ता है।
- इसमें 400 से अधिक रासायनिक घटक शामिल हैं, जिनमें ट्राइटरपेन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लियोटाइड, एल्कलॉइड, स्टेरॉयड, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और फिनोल शामिल हैं।
- वे इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, एंटी-हेपेटाइटिस, एंटी-ट्यूमर, और एंटीऑक्सिडेंट, एंटीमाइक्रोबियल, एंटी-ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (एचआईवी), मलेरिया-रोधी, हाइपोग्लाइसेमिक और एंटी-इंफ्लेमेटरी जैसे औषधीय गुणों का प्रदर्शन करते हैं।
- दवाओं के अलावा, गैनोडर्मा ल्यूसिडम का उपयोग चाय, कॉफी, ऊर्जा की खुराक, स्वास्थ्य बूस्टर, पेय पदार्थ, पके हुए सामान और एंटी-एजिंग सौंदर्य प्रसाधन जैसे उत्पादों के निर्माण के लिए एक आधार सामग्री के रूप में भी किया जाता है।

भारत में इसकी खेती का दायरा क्या है?

- इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के देशों तक सीमित है।
- गैनोडर्मा के बारे में जागरूकता फैल रही है और इस मशरूम की मांग ने भारत सहित कई देशों को इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और इसके उत्पादों के निर्माण के लिए प्रेरित किया है।
- भारत एक ऐसा देश है जहां की अधिकांश आबादी मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है और इस मशरूम की खेती की काफी संभावनाएं हैं।
- इसे घर के अंदर उगाया जा सकता है और इस प्रकार यह चरम मौसम की स्थिति, मानव-वन्यजीव संघर्ष, कठोर स्थलाकृति और खराब मिट्टी की स्थिति के प्रभावों से सुरक्षित है।
- वर्तमान में, भारत में मशरूम ज्यादातर प्रयोगशाला अनुसंधान तक ही सीमित है। हालाँकि, विभिन्न भारतीय संगठनों द्वारा इसकी खेती के लिए कुछ सफल प्रयास किए गए हैं।
- देश में इसकी खेती लकड़ी के लट्ठों पर की जाती है।
- इसमें आजीविका सृजन की अपार संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन इस संबंध में कुछ चुनौतियां भी हैं।
- 'गनोडर्मा ल्यूसिडम' के सूखे मेवे या कच्चा पाउडर 4,000-5000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा सकता है।

नमामि गंगे

- जल शक्ति मंत्रालय ने 'नमामि गंगे' कार्यक्रम के तहत 'जिला गंगा समितियों (डीजीसी) प्रदर्शन निगरानी प्रणाली' (जीडीपीएमएस) के लिए डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है।
- इस डिजिटल डैशबोर्ड को जिला गंगा समितियों यानी जिला गंगा समितियों को आम लोगों और नदी के बीच की कड़ी को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है।

'जिला गंगा समितियों' के बारे में:

- गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रबंधन और प्रदूषण उपशमन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर एक तंत्र स्थापित करने के लिए गंगा नदी बेसिन पर स्थित जिलों में 'जिला गंगा समितियों' का गठन किया गया था।
- डीजीसी को 'नमामि गंगे' के तहत विकसित संपत्तियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में गिरने वाले नालों/सीवेज की निगरानी और गंगा कायाकल्प के साथ लोगों के एक मजबूत जुड़ाव का निर्माण करने का काम सौंपा गया है।

नमामि गंगे क्या है?

- नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 'फ्लैगशिप प्रोग्राम' के रूप में अनुमोदित किया गया था, ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय गंगा नदी के संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

- इसे जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है।
- कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) और इसके राज्य समकक्ष संगठनों यानी राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों (एसपीएमजी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- NMCG राष्ट्रीय गंगा परिषद का कार्यान्वयन विंग है, इसकी स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी, जिसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) का स्थान लिया था।
- इसमें 20,000 करोड़ रुपये का केंद्र द्वारा वित्त पोषित, गैर-व्यपगत निधि है और इसमें लगभग 288 परियोजनाएं शामिल हैं।

कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ हैं:

- मलजल शोधन अवसंरचना
- रिवर फ्रंट डेवलपमेंट
- नदी की सतह की सफाई
- जैव विविधता
- वनरोपण
- जन जागरूकता
- औद्योगिक प्रवाह निगरानी
- गंगा गांव

संबंधित पहल:

- गंगा कार्य योजना: यह पहली नदी कार्य योजना थी जिसे 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लाया गया था। इसका उद्देश्य घरेलू सीवेज के पानी को अवरुद्ध, मोड़ और उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना और जहरीले और औद्योगिक रसायनों को रोकना था। अपशिष्ट (पहचानी गई प्रदूषणकारी इकाइयों से) नदी में प्रवेश करने से।
- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना गंगा कार्य योजना का विस्तार है। इसका उद्देश्य गंगा एकशन प्लान के फेज-2 के तहत गंगा नदी को साफ करना है।
- राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण (NRGPA): इसका गठन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-3 के तहत किया गया था।
- इसने गंगा नदी को भारत की 'राष्ट्रीय नदी' घोषित किया।
- स्वच्छ गंगा कोष: इसका गठन वर्ष 2014 में गंगा की सफाई, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना और नदी की जैविक विविधता के संरक्षण के लिए किया गया था।
- भुवन-गंगा वेब ऐप: यह गंगा नदी में प्रदूषण की निगरानी में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- कचरा निस्तारण पर रोक: साल 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा नदी में किसी भी तरह के कचरे के निस्तारण पर रोक लगा दी थी।

गंगा नदी प्रणाली:

- 'भागीरथी' नामक गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद द्वारा पोषित होता है और उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाता है।
- हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है।

- हिमालय की कई सहायक नदियाँ गंगा में मिलती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी आदि हैं।

विश्व स्वास्थ्य दिवस

- प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस की मुख्य विशेषताएं:

- इसके विचार की परिकल्पना वर्ष 1948 में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली विश्व स्वास्थ्य सभा में की गई थी, जिसे वर्ष 1950 में लागू किया गया था।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस (7 अप्रैल, 1948) की वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।
- पिछले कुछ वर्षों में इसने मानसिक स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु देखभाल और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों को प्रकाश में लाया है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य और इससे संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श करना और दुनिया में समान स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है।

2022 के लिए थीम:

- हमारा ग्रह, हमारा स्वास्थ्य।

महत्त्व:

पर्यावरणीय कारणों से मृत्यु की घटनाओं में वृद्धि:

- दुनिया भर में 13 मिलियन मौतें परिहार्य पर्यावरणीय कारणों से होती हैं।
- इसमें जलवायु संकट भी शामिल है जो मानवता के सामने सबसे बड़ा स्वास्थ्य खतरा है।

बढ़ता वायु प्रदूषण:

- 90% से अधिक लोग जीवाश्म ईंधन के जलने से प्रदूषित वायु में सांस लेते हैं।

महामारी का प्रभाव:

- महामारी ने समाज के सभी क्षेत्रों में कमजोरियों को उजागर किया है और पारिस्थितिक सीमाओं को तोड़े बिना वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए समान स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध एक स्थायी कल्याणकारी समाज के निर्माण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

बढ़ती चरम मौसम की घटनाएं:

- चरम मौसम की घटनाएं, भूमि क्षरण और पानी की कमी लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर रही है और उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है।

बढ़ता प्रदूषण और प्लास्टिक:

- प्रदूषण और प्लास्टिक भी लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और इसने हमारी खाद्य श्रृंखला में अपनी जगह बना ली है।

आय का असमान वितरण:

- अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप आय, धन और शक्ति के असमान वितरण की ओर ले जाता है, कई लोग अभी भी गरीबी और अस्थिरता में जी रहे हैं।

भारत में वर्तमान स्वास्थ्य कल्याण परिदृश्य:

- हालांकि पिछले पांच वर्षों में भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है (22% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर), COVID-19 ने कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे की कमी और गुणवत्ता सेवा वितरण की कमी जैसी चुनौतियों को उजागर किया है।
- भारत का स्वास्थ्य देखभाल व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6 प्रतिशत है, जिसमें जेब खर्च के अलावा सार्वजनिक व्यय शामिल है।
- केंद्र और राज्यों दोनों का संयुक्त कुल सरकारी व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 29% है।
- स्वास्थ्य देखभाल पर भारत का खर्च ब्रिक्स देशों में सबसे कम है। ब्राजील सबसे अधिक (2%) खर्च करता है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका (8.1%), रूस (5.3%), चीन (5%) का स्थान आता है।
- भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की है, जो सरकार द्वारा प्रायोजित दुनिया की सबसे बड़ी गैर-अंशदायी स्वास्थ्य बीमा योजना है और माध्यमिक और तृतीयक सुविधाओं के साथ गरीब और कमजोर परिवारों को इनपेशेंट स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती है।

स्वास्थ्य क्षेत्र की पहल:

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019
- प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना

- प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना
- भारत का स्वास्थ्य सूचकांक
- समृद्ध कार्यक्रम

Swadeep Kumar

Yojna IAS